न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल महोदय,

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. /2013–14 निगरानी R-2308-PBR/14

रामप्रकाश पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी ग्राम बैरजा तहसील व जिला ग्वालियर म0प

......निगरीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

रामस्नेही पुत्र श्री [redacted]राम निवासी ग्राम बैरजा तहसील व जिला ग्वा0 म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय नायब तहसीलदार वृत्त बैहट तहसील ग्वा0के प्रकरण कमांक 9/97–98 अ–19 में पारित आदेश दिनांकी 03.02.1999 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2308–पीबीआर/14 [रामप्रकाश/रामस्नेही] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–2–1999 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3–2–1999 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी 30–7–2014 को लगभग 15 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलंब का कारण अनावेदक द्वारा जब दिनांक 7–7–2014 को आवेदक के कब्जे वाली भूमि पर बेदखल करने का प्रयास किया गया तब उन्हें तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–2–1999 के आदेश की जानकारी होना दर्शाया गया है । लगभग 15 वर्ष तक आवेदक को व्यवस्थापन आदेश की जानकारी नहीं होना और 15 वर्ष तक व्यवस्थापन होने के उपरान्त अनावेदक द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया जाना विश्वसनीय मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः विलंब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य मान्य की जाकर अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	